ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 132-133

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

भिक्षावृत्ति की समस्या एवं समाधान : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

जगदीप कुमार दिवाकर

असि0प्रो0– समाजशास्त्र विभाग, डी0बी0एस0, कालेज गोविन्द नगर, कानपुर (उ0प्र0) भारत

Received-10.11.2023, Revised-17.11.2023, Accepted-22.11.2023 E-mail: jagdeepdiwakar@gmail.com

सारांश: *भारत में भिक्षावृत्ति का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। वैदिक भारत की बात करें, तो हमारा जीवन आश्रम व्यवस्था पर आधारित रहा है। चार आश्रमों का क्रम प्रकार है– ब्रम्हचर्य, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास आश्रम। ब्रम्हचर्य आश्रम में बालक गुरूकुल में गुरू के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करता है। गुरूकुल में बालक अपने गुरू के आदेशानुसार समीप के ग्रामों में जाकर भिक्षार्जन करता है और उसी भिक्षा से गुरूकुल के विद्यार्थी अपना भोजन प्राप्त करते है। इसी प्रकार तीसरे एवं चतुर्थ आश्रम में भिक्षार्जन कर जीवन व्यतीत करता है।*

जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में कुल 4,13,670 भिखारी है। भिखारियों की वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। भिखारियों की संख्या के सम्बन्ध में राज्यवार आंकड़ों की बात करे तो सबसे ज्यादा भिखारी पं0 बंगाल राज्य में है। जनगणना 2011 के अनुसार, केरल जैसे शिक्षित राज्य में 42 प्रतिशत भिखारी शिक्षित है। केरल में 3800 में से 1600 भिखारी शिक्षित थे। इनमें से 1200 दसवीं से कम पढ़े लिखे थे। 200 भिखारी स्नातक से कम, 20 के पास डिप्लोमा, 30 स्नातकोत्तर थे।

कुंजीभूत शब्द– भिक्षावृत्ति, मनोवृत्ति, गरीबी, अपंगता, ब्रम्हचर्य, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास आश्रम, गुरूकुल, सानिध्य, गरीबी।

आजादी के बाद भारत लगातार विभिन्न क्षेत्रों में नई–नई ऊँचाईयों को प्राप्त कर रहा है। वित्त वर्ष 2021–22 में भारत की जीडीपी रिवर्ज बैंक ऑफ इण्डिया के अनुसार 9.1 प्रतिशत थी जो विश्व में लगभग सर्वाधिक है। हमारी प्रति व्यक्ति आय भी लगातार बढ़ रही है। इन सबके बावजूद भारत में गरीबी बेरोजगारी, भुखमरी आदि जैसी समस्याएँ समाप्त हो गई हों ऐसा नही है। भारत में भिक्षावृत्ति जो मानवता के लिये अभिशाप जैसा है भारत में बड़े पैमाने व संख्या में हो रही हो रही है। मनुष्य का जीवन सिर्फ जीवित रहने तक ही सीमित नही बल्कि एक गरिमामय जीवन को ही मानव जीवन माना जाता। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार 413670 भिखारी है। जिनमें 2,21,673 पुरूष व 1,91,997 महिलाए हैं। वास्तविक स्थिति व ऑकड़े इससे कही अधिक हो सकते है। भारत में मन्दिरों, मस्जिदों, गुरूद्वारों, मजारों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, ट्रैफिक सिग्नलों एवं बाजारों आदि में बड़ी संख्या में गरीब, असहाय, बेघर, घायल स्त्री–पुरूष, अपंग व्यक्ति आदि भीख मांगने को मजबूर है। भारत में भिक्षावृत्ति का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। वैदिक भारत की बात करें तो हमारा जीवन आश्रम व्यवस्था पर आधारित रहा है। चार आश्रमों का क्रम प्रकार है, ब्रम्हचर्य, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास आश्रम। ब्रम्हचर्य आश्रम में बालक गुरूकुल में गुरू के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करता है। गुरूकुल में बालक अपने गुरू के आदेशानुसार समीप के ग्रामों में जाकर भिक्षार्जन करता है और उसी भिक्षा से गुरूकुल के विद्यार्थी अपना भोजन प्राप्त करते है। इसी प्रकार तीसरे एवं चतुर्थ आश्रम में भिक्षार्जन कर जीवन व्यतीत करता है।

भिक्षावृत्ति का अर्थ एवं परिभाषा– मेरियम–वेबस्टर शब्द कोश ''पैसे या भोजन के लिये आग्रह'' (विशेष रूप से सड़क पर एक स्पष्ट रूप से दरिद्र व्यक्ति द्वारा)

बॉम्बे भिक्षावृत्ति रोकथाम अधि0 (1959)–

1. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गाना गाकर, नृत्य करके, भविष्य बताकर, कोई समान देकर या इसके बिना भीख मांगता है या कोई चोट घाव आदि दिखाकर, बीमारी बताकर भीख मागता है।
2. जीविका का कोई दूसरा साधन न होने और सार्वजनिक स्थान पर इधर–उधर भीख मांगने की मंशा से घूमना भी भिक्षावृत्ति है।

भारत में भिक्षावृत्ति की वर्तमान में स्थिति– जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में कुल 4,13,670 भिखारी है। भिखारियों की वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। भिखारियों की संख्या के सम्बन्ध में राज्यवार आंकड़ों की बात करे तो सबसे ज्यादा भिखारी पं0 बंगाल राज्य में है। जनगणना 2011 के अनुसार, केरल जैसे शिक्षित राज्य में 42 प्रतिशत भिखारी शिक्षित है। केरल में 3800 में से 1600 भिखारी शिक्षित थे। इनमें से 1200 दसवीं से कम पढ़े लिखे थे। 200 भिखारी स्नातक से कम, 20 के पास डिप्लोमा, 30 स्नातकोत्तर थे।

1.	पश्चिम बंगाल	–	81244
2.	उ0प्र0	–	65835
3.	आन्ध्र प्रदेश	–	30218
4.	बिहार	–	29723
5.	मध्य प्रदेश	–	28695

भिक्षावृत्ति के प्रकार– भिक्षावृत्ति के मुख्यतः दो प्रकार स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते है–

1. धार्मिक भिक्षावृत्ति– धार्मिक भिक्षावृत्ति में प्रायः ऐसे लोग आते हैं जो बाबा वेशधारी होते है, गेरूआ वस्त्र पहने होते हैं।

सामान्य भिक्षावृत्ति– सामान्य भिक्षावृत्ति से तात्पर्य प्रायः सामान्य लोगों द्वारा की जाने वाली भिक्षावृत्ति से है। इसमें प्रायः बेसहारा, बेघर, गरीब, बेरोजगार, मजबूर, बीमार व अपंग लोग आते है। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, यातायात चौराहों तथा मन्दिरों में इस तरह की भिक्षावृत्ति आम है।

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

भारत में भिक्षावृत्ति निषेध के कानूनी प्रावधान–

1. बॉम्बे प्रीवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट (1959) –
2. जम्मू कश्मीर भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम–1960
3. दिल्ली भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम–1960
4. पंजाब भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम–1971
5. मध्य प्रदेश भिक्षावृत्ति निषेध अधनियम 1972
6. उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम 1975

भिक्षावृत्ति उन्मूलन एवं भिखारियों के उत्थान हेतु, सरकारी प्रयास/योजनाएं–

1. आजीविका और उद्यम के लिये सीमान्त व्यक्तियों हेतु समर्थन
   (Support For Marginalised individuals for livelihood) (12 फरवरी 1992)
2. उत्तर प्रदेश माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण नियमावली–2014
3. बिहार की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना (2012)

जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में लगभग 4,13,670 लोग भिक्षावृत्ति कर रहे है। जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की कुल आबादी 1 अरब 21 करोड़ से अधिक है। इतनी बड़ी आबादी का भरण पोषण निश्चित रूप से देश के लिये एक चुनौती से कम नही है। वर्ल्ड हंगर इनडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, 125 देशों की सूची में भारत का 111 वॉ स्थान है, जो अत्यन्त खराब स्थिति को दर्शाता है। भुखमरी की स्थिति में भारत की रैंक लगातार खराब होती जा रही है। वर्ष 2020 में 94वें, वर्ष 2022 में 107 स्थान पर था। भारत को 28.7 के स्कोर के साथ वर्ष 2023 में गंभीर स्थिति वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। गरीबी और बेरोजगारी एक ही सिक्कें के दो पहलू है। भारत में बेरोजगारी व गरीबी की स्थिति चिंताजनक स्तर पर है। गरीबी से भुखमरी व कुपोषण जैसी स्थितियॉ उत्पन्न होती है। यही सारी स्थितियाँ मिलकर मनुष्य को विवश कर देती है कि वह भिक्षावृत्ति आदि द्वारा भी अपना जीवन व्यतीत करे। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में शोधार्थी ने ''हिन्दू धर्म स्थलों में व्याप्त भिक्षावृत्ति का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'' (कानपुर महानगर के विशेष संन्दर्भ) शोध समस्या का चयन किया है।

निष्कर्ष एवं सुझाव– भारत में भिक्षावृत्ति सिर्फ गरीबी एवं बेरोजगारी के कारण हो ऐसा नही है। भिक्षावृत्ति वर्तमान में संगठित व्यवसाय का रूप ले रहा है। इसमें संलिप्त लोग धीरे–धीरे इस पेशे के आदी हो जाते है और इससे बाहर निकलने का प्रयास छोड़ देते है। भिक्षावृत्ति उनके लिये जीवन विधि का रूप लेती है। इस पेशे में भिखारियों को घृणित व्यवहार लोगों की अपेक्षा व घृणा का भी सामना करना पड़ता है। आस्कर लेविस ने गरीबी की संस्कृति की जो अवधारणा दी थी वह भिक्षावृत्ति से जुड़े लोगों पर भी लागू होती है। सड़कों के किनारें, मन्दिरों आदि के बाहर रहकर लोग अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते है। भिक्षावृत्ति को सिर्फ कानूनी समस्या मानना ठीक नही है। कानूनी रूप से भले ही हम इसको अपराध घोषित कर दे, किन्तु भिक्षावृत्ति के लिये लोग क्यों मजबूर होते हैं इसके कारणों की तह में जाना आवश्यक है। भारत में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी एक वास्तविक समस्या है। इन वास्तविक समस्याओं के समाधान के बिना भिक्षावृत्ति समाप्त होना अत्यन्त दुष्कर कार्य है।

प्रमुख सुझाव–

1. भिक्षावृत्ति को अपराध की श्रेणी में बाहर रखा जाये।
2. संगठित गिरोहों पर सख्ती से लगाम लगायी जाये।
3. व्यापक स्तर पर वृद्धाआश्रम बनाये जाये।
4. प्रत्येक शहर व बड़े कस्बों में आश्रय स्थल बनाये जाये।
5. आश्रयहीन लोगों की पहचान कर राशन, कार्ड, आधार कार्ड बनाये जाये।
6. सभी आश्रयहीन, वृद्ध अपंग आदि लोगों को समुचित पेंशन।
7. इच्छुक व कार्य करने में सक्षम लोगों को स्किल व ट्रेनिंग आदि दी जाये।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Ahuja Ram, Criminology, 2004, Rawat Publications, Jaipur.
2. Ghurye G.S, Caste & Race in India 2008, Popular Publication Bombay.
3. https://www.DNA INDIA.COM 10 oct. 2022.
4. Hindustan Times, 24 March 2017.
5. https://www.drishtiias.com, 29 Sep. 2018.
6. https://www.duniyahaigol.com, 06 June 2022.
7. Sajid, iqubal, Kavya, Amarujala.com.
8. Bas,B.K. (2017), Anti Beggary laws in India : A critical analysis international journal of law 3 (3)161-163 https:www.lawjournals.org.
9. Sharma R.K. (1997) Urban Sociology, Delhi Atlantic Publications & Distributions.
10. Singh M. (2017) Beggars code, Chennai, Nations Press Academy

*****